प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

महत्वपूर्ण / तत्काल

सेवा में,

1–समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2–अपर निदेशक पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
3–उपनिदेशक(प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ।
4–परियोजना अधिकारी, सघन भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
5–प्रायोजना अधिकारी, सघन भेड़ विकास प्रायोजना मिर्जापुर।
6–संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र चकगंजरिया(लखनऊ) / निबलेट(बाराबंकी) / बाबूगढ़(गाजियाबाद)।
7–प्रायोजना अधिकारी, तरल नत्रजन उत्पादन केन्द्र मंझरा लखीमपुर, खीरी।
8–प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

संख्या 929 /स्था0–2 / 1–ख / 13(1317) / 2014 दिनांक 04-09-2015

विषयः– वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन(भाग–1) द्वारा वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1915 / 37–1–2014–2 (10) / 2010 दिनांक 06अगस्त 2014, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार पशु पालन विभाग के वाहन चालक संवर्ग का पुनर्गठन किया जाना है, जिसके लिए आपके अधीनस्थ कार्यरत सभी वाहन चालकों की विगत 10 वर्षों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां एवं उनकी सेवा पुस्तिकाओं की आवश्यकता है।

अतः आप अपने अधीनस्थ कार्यरत वाहन चालको की सेवा पुस्तिका एवं 10 वर्ष की चरित्र प्रविष्टियॉ सत्यापित कर, विशेष वाहक / सम्बन्धित सहायक के माध्यम से दिनांक 10.03.2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि विगत 10 वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त हो चुके वाहन चालक की भी चरित्र प्रविष्टि एवं सेवा पुस्तिका भी उपलब्ध करायी जाय, क्योंकि यदि कोई वाहन चालक उक्त अवधि के अन्तर्गत पुनर्गठन का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है तो वह वंचित न रह जाय। उक्त अभिलेख समय से उपलब्ध न कराये जाने के कारण किसी विषम स्थिति के उत्पन्न होने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

vividh-jb-112